

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्रक.क. : 819/2014)

(संस्थित दिनांक : 15/09/14)

म.प्र. राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- गोहद

जिला-भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन

/// विरुद्ध ///

01. वीरू उर्फ वीरेन्द्र राठौर पुत्र ओमप्रकाश राठौर 26 वर्ष

निवासी :- फर्नीचर वाली गली गोहद, थाना :- गोहद, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)

..... अभियुक्त।

/// निर्णय ///

(आज दिनांक : 17/03/2017 को घोषित)

01. आरोपी वीरू उर्फ वीरेन्द्र पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा - 279 एवं 337 के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :- 05/05/2014 की रात्रि लगभग 11:00 बजे स्टेट बैंक के सामने मौ रोड़ गोहद पर, उसके आधिपत्य के वाहन मोटर साईकिल क्रमांक : डी.एल.7.एस./ए.आर./8154 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर वाहन आहत मोहर सिंह उर्फ डैनी को टक्कर मारकर उसे उपहति कारित की।

02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा होना निर्विवादित एक तथ्य है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 05/05/2014 की रात्रि लगभग 11:00 बजे स्टेट बैंक के सामने मौ रोड़ गोहद पर, वाहन मोटर साईकिल क्रमांक : डी.एल.7.एस./ए.आर./8154 के चालक वीरू राठौर द्वारा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर आहत मोहर सिंह उर्फ डैनी में टक्कर मारने की मौखिक रिपोर्ट दिनांक : 11/05/2014 को फरियादी मोहर सिंह उर्फ डैनी द्वारा थाना गोहद पर की जाने पर, थाना गोहद में उक्त बस मोटर साईकिल के चालक वीरू उर्फ वीरेन्द्र के विरुद्ध अपराध क्रमांक 154/2014 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया गया। वाहन मोटर साईकिल क्रमांक : डी.एल.7.एस./ए.आर./8154 को जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। आरोपी वीरू उर्फ वीरेन्द्र को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। फरियादी मोहर सिंह उर्फ डैनी, साक्षीगण रामवरन

राठौर एवं असगर खॉन के कथन लेखबद्ध किए गये। तदोपरांत विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त वीरू उर्फ वीरेन्द्र के विरुद्ध धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपी एवं फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्त को धारा 337 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:-

01. क्या आरोपी वीरू उर्फ वीरेन्द्र ने दिनांक :- 05/05/2014 की रात्रि लगभग 11:00 बजे स्टेट बैंक के सामने मौ रोड़ गोहद पर, उसके आधिपत्य के वाहन मोटर साईकिल क्रमांक : डी.एल.7.एस./ए.आर./8154 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?

02. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

07. फरियादी मोहर सिंह राठौर अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी वीरू उर्फ वीरेन्द्र को जानता है। घटना दिनांक : 05/05/2014 की रात्रि लगभग 11 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि वह बस स्टेण्ड गोहद से औजार लेने राठौर धर्मशाला गोहद जा रहा था, तभी रास्ते में बैंक के पास वह पहुँचा तो ग्लैमर मोटर साईकिल नम्बर डी.एल.75/8114 का चालक जिसका नाम वीरू उर्फ वीरेन्द्र था, गाड़ी भंयकर लापरवाही से चलाकर लाया और उसको टक्कर मार दी, जिससे उसके दाहिने पैर में चोट होकर अंगूठा कट गया और पूरी उंगली फैंक्चर हो गई थी। फिर उसने अपने घर फोन लगाया था, उसका भाई रामवरन आया जो उसे हॉस्पिटल गोहद ले गया था, जहाँ से उसे ग्वालियर रैफर कर दिया गया था। उसने उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना गोहद में की थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर नक्शा-मौका बनाया था, जो प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था।

08. उल्लेखनीय है कि फरियादी मोहर सिंह अ.सा.01 द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन का क्रमांक डी.एल.7.एस./ए.आर./8154 उल्लेखित हैं, जबकि मोहर सिंह अ.सा.01 ने न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में दुर्घटनाकारित करने वाली मोटर साइकिल का क्रमांक डी.एल.75/8114 होना दर्शित किया है। इस प्रकार दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के क्रमांक के संबंध में फरियादी मोहर सिंह अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में मोहर सिंह अ.सा.01 का कहना है कि उसने घटना की रिपोर्ट 10 तारीख को लिखा दी थी। उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में रिपोर्ट लेखबद्ध किये जाने की तारीख 11/05/2014 अंकित है, ना कि दिनांक : 10/05/2014। इस प्रकार फरियादी मोहर सिंह द्वारा घटना की रिपोर्ट 10 तारीख को की गई थी, अथवा दिनांक : 11/05/2014 को, इस वावत् फरियादी मोहर सिंह अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

10. मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 में मोहर सिंह अ.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि दुर्घटना के पश्चात् उसका भाई रामवरन अ.सा.01 मौके पर आया और उसे हॉस्पिटल गोहद लेकर गया था, जहाँ से उसे ग्वालियर रैफर कर दिया गया था। रामवरन अ.सा.02 ने भी उसके मुख्य परीक्षण में यह दर्शित किया है कि वह अपने भाई अर्थात् आहत मोहर सिंह को लेकर हॉस्पिटल गया था, जहाँ से उसे ग्वालियर रैफर कर दिया गया था। अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रकरण में अभियोग पत्र के साथ सीएचसी गोहद में दिनांक : 05/05/2014 को हुये आहत मोहर सिंह अ.सा.01 के ईलाज का कोई पर्चा या सीएचसी गोहद से उसे ईलाज हेतु ग्वालियर रैफर किये जाने का कोई पर्चा संलग्न नहीं है। उल्लेखनीय यह भी है कि सामान्यतः किसी आहत द्वारा ईलाज के दौरान उसे आई चोटें वाहन दुर्घटना में आई होना दर्शित करने पर ईलाज करने वाले डॉक्टर दुर्घटना की सूचना स्थानीय क्षेत्राधिकार रखने वाले पुलिस थाना को दी जाती है, परन्तु ऐसी कोई सूचना के आधार पर प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध नहीं की गई है।

11. उल्लेखनीय है कि अभियोजन कथा के अनुसार घटना दिनांक : 05/05/2014 की है, जबकि आहत मोहर सिंह अ.सा.01 द्वारा इसकी रिपोर्ट घटना के लगभग 06 दिन विलम्ब से दिनांक : 11/05/2014 को थाना गोहद में की गई है और प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में विलम्ब का कारण ईलाजरत रहना बताया है। उल्लेखनीय है कि आहत मोहर सिंह अ.सा.01 ईलाजरत रहा था, परन्तु घटना की सूचना उसके भाई रामवरन अ.सा.02 द्वारा भी पुलिस को दी जा सकती थी, जो कि उसके द्वारा नहीं दी गई। इसलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में दर्शित घटना की रिपोर्ट विलम्ब से करने का कारण सद्भाविक प्रतीत नहीं होता है।

12. आहत मोहर सिंह अ.सा.01 ने उसके मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 में यह दर्शित किया है कि घटना के समय आरोपी वीरू उर्फ वीरेन्द्र वाहन क्रमांक डी.एल.75/8114 को भयंकर होकर लापरवाही से चलाकर लाया। यदि उक्त भयंकर शब्द का अर्थान्वयन तेजी से वाहन चलाना किया जाये तब भी मात्र तेजी से लोकमार्ग पर वाहन चलाना अपने आप में किसी प्रकार की उपेक्षा या उतावलेपन को गठित नहीं करता है, जब तक कि इस वावत् अन्य सुसंगत परिस्थितियाँ दर्शित ना की जाये।

13. साक्षी रामवरन अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 13/08/2015 से लगभग साल भर पहले की रात के 11 बजे की है। उसका भाई बस स्टेण्ड से वापस आ रहा था, तो मौ रोड पर स्टेट बैंक के पास वीरू उर्फ वीरेन्द्र ने अपनी मोटर साईकिल को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर उसके भाई मोहर सिंह में टक्कर मार दी थी, जिससे मोहर सिंह के पैर में चोट आई थी, जिससे उसका अंगूठा कट गया था। दुर्घटनाकारित करने वाली मोटर साईकिल का नम्बर डी.एल.75/ए.आर./8114 था। साक्षी आगे कहता है कि वह अपने भाई को हॉस्पिटल लेकर गये थे, जहाँ से उसे ग्वालियर रैफर कर दिया गया था। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ की थी। दुर्घटना के समय दुर्घटनास्थल पर साक्षी रामवरन अ.सा.02 की उपस्थिति के संबंध में फरियादी मोहर सिंह अ.सा.01 का उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में कहना है कि दुर्घटना के समय उसके साथ कोई और व्यक्ति नहीं था, दुर्घटना के बाद उसने अपने घर फोन लगाकर भाई रामवरन अ.सा.02 को बुलाया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में मोहर सिंह अ.सा.01 का कहना है कि उसका भाई रामवरन दुर्घटना के दस मिनट बाद दुर्घटनास्थल पर आ गया था। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से यह प्रकट होता है कि साक्षी रामवरन अ.सा.02 घटना का चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर, अनुश्रुत साक्षी मात्र है। इसलिए रामवरन अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता।

14. आरोपी एवं फरियादी/आहत मोहर सिंह के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है।

15. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी वीरू उर्फ वीरेन्द्र ने दिनांक :- 05/05/2014 की रात्रि लगभग 11:00 बजे स्टेट बैंक के सामने मौ रोड गोहद पर, उसके आधिपत्य के वाहन मोटर साईकिल क्रमांक : डी.एल.7.एस./ए.आर./8154 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया।

16. अभियोजन आरोपी वीरू उर्फ वीरेन्द्र के विरुद्ध धारा 279 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

17. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

18. प्रकरण पत्रावली में संलग्न वाहन मालिक राकेश पुत्र अर्जुन सिंह के सुपुर्दगी आवेदन दिनांक : 22/09/2014 के अनुसार जब्तशुदा वाहन मोटर साईकिल क्रमांक : डी.एल.7.एस./ए.आर./8154 उसके पंजीकृत स्वामी को प्रदान कर व्ययनित किया जा चुका है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन मोटर साईकिल क्रमांक : डी.एल.7.एस./ए.आर./8154 का रजिस्ट्रेशन पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी राकेश राठौर के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगी नामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद